सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी विराटनगर, जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी – राजवीर सिंह यादव R.A.S.

प्रार्थना पत्र संख्या :– **14/ 2019** दायर तारीख :– **07-03-2019**

1. नन्छुराम उर्फ नानूराम पुत्र श्री रामदेव जाति माली निवासी मालीवाडा तहसील विराटनगर जिला जयपुर राजस्थान। —— प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार कार्यालय तहसील विराटनगर, जिला जयपुर (राज0)। —— अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम

उपस्थित : श्री अवधेश कुमार शर्मा, अधिवक्ता प्रार्थी
पैरोकार सरकार

निर्णय

निर्णय दिनांक :–10.09.2020

1. संक्षेप में वाद पत्र के तथ्य हैं कि वाकै ग्राम मालीवाडा के खाता संख्या 63 के हाल खसरा नम्बर 325/0.01, 330/0.03, 331/0.11, 334/0.11 हैक्टेयर कुल किता 4 रकबा 0.26 हैक्टयर एवं खाता संख्या 64 के खसरा नंबर 226/0.05, 321/0.06 हैक्टेयर कुल किता 02 कुल रकबा 0.11 हैक्टेयर तथा वाके ग्राम पूरावाला के खाता संख्या 86 के खसरा नंबर 689/2/0.18 हैक्टेयर कुल किता 1 कुल रकबा 0.18 एवं खाता संख्या 87 के खसरा नंबर 684/0.06 हैक्टेयर कुल किता 1 कुल रकबा 0.06 हैक्टेयर की खातेदारी प्रार्थी के नाम दर्ज रिकार्ड है। यह है कि प्रार्थी का नाम नन्छुराम उर्फ नानूराम का नाम गलत इन्द्राज करते हुए नाथूराम पुत्र रामदेव अंकित कर दिया, जो की लिपिकीय भूल है, जो कि दुरूस्त करने योग्य है। यह है कि प्रार्थी का सही नाम नन्छुराम उर्फ नानूराम पुत्र रामदेव जाति माली ही है, जिसको कभी किसी अन्य नाम से नहीं पुकारा जाता। अधिवक्ता प्रार्थी का तर्क रहा कि उक्त आराजी के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम सहवन से नाथूराम पुत्र रामदेव दर्ज है, जो गलत दर्ज है,, जबकि प्रार्थी के समस्त सरकारी/गैरसरकारी कागजात, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड, आदि में वास्तविक नाम नन्छुराम उर्फ नानूराम पुत्र रामदेव है। अतः प्रार्थी का नाम काबिल दुरूस्ती है। अतः निवेदन है कि वाकै ग्राम मालीवाडा के खाता संख्या 63 के हाल

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

खसरा नम्बर 325/0.01, 330/0.03, 331/0.11, 334/0.11 हैक्टेयर कुल किता 4 रकबा 0.26 हैक्टयर एवं खाता संख्या 64 के खसरा नंबर 226/0.05, 321/0.06 हैक्टेयर कुल किता 02 कुल रकबा 0.11 हैक्टेयर तथा वाके ग्राम पूरावाला के खाता संख्या 86 के खसरा नंबर 689/2/0.18 हैक्टेयर कुल किता 1 कुल रकबा 0.18 एवं खाता संख्या 87 के खसरा नंबर 684/0.06 हैक्टेयर कुल किता 1 कुल रकबा 0.06 हैक्टेयर की खातेदारी के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम नाथूराम पुत्र रामदेव के बजाय नन्छुराम उर्फ नानूराम पुत्र रामदेव जाति माली दुरूस्त किये जाने के आदेश फरमावें।

2. प्रार्थना पत्र बाद जांच दर्ज पंजीका किया गया। अप्रार्थी की तलबी की गई। पैरोकार सरकार उपस्थित। जवाब सरकार पेश किया गया।

3. प्रार्थी ने दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल जमाबन्दी वाके ग्राम पूरावाला खाता संख्या 102 संवत् 2066–2069, नकल जमाबन्दी वाके ग्राम पूरावाला खाता संख्या 86 संवत् 2070–2073, नकल जमाबन्दी वाके ग्राम पूरावाला खाता संख्या 87 संवत् 2070–2073, नकल जमाबन्दी वाके ग्राम मालीवाडा खाता संख्या 63 संवत् 2076–2079, नकल जमाबन्दी वाके ग्राम मालीवाड़ा खाता संख्या 64 संवत् 2076–2079, फोटो प्रति भारत निर्वाचन आयोग पहचान पत्र, फोटोप्रति भारत सरकार आधार कार्ड 6606-4995-0399, फोटोप्रति परिवार राशन कार्ड 007922200215, ग्राम पंचायत पूरावाला लैटर हैड प्रमाण पत्र एवं मजमें आम कैम्प पूरावाला दिनांक 08.06.2018 आदि पेश किये गये।

4. विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी एवं पैरोकार सरकार को सुना गया।

5. पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो, विधि के सुसंगत प्रावधानों का अवलोकन किया गया एवं बहस अधिवक्ता प्रार्थी पर मनन किया गया। वाकै ग्राम मालीवाडा के खाता संख्या 63 के हाल खसरा नम्बर 325/0.01, 330/0.03, 331/0.11, 334/0.11 हैक्टेयर कुल किता 4 रकबा 0.26 हैक्टयर एवं खाता संख्या 64 के खसरा नंबर 226/0.05, 321/0.06 हैक्टेयर कुल किता 02 कुल रकबा 0.11 हैक्टेयर तथा वाके ग्राम पूरावाला के खाता संख्या 86 के खसरा नंबर 689/2/0.18 हैक्टेयर कुल किता 1 कुल रकबा 0.18 एवं खाता संख्या 87 के खसरा नंबर 684/0.06 हैक्टेयर कुल किता 1 कुल रकबा 0.06 हैक्टेयर की खातेदारी प्रार्थी के नाम दर्ज रिकार्ड है। प्रकरण में पैराकार सरकार का जवाब रहा है कि प्रार्थी द्वारा अपना नाम नाथूराम पुत्र रामदेव के बजाय नन्छूराम उर्फ नानूराम पुत्र रामदेव होने का कोई भी साक्ष्य दस्तावेज

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रस्तुत नहीं करने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किए जाने योग्य है। प्रकरण में दस्तावेजी साक्ष्यों एवं पैराकार सरकार के जवाब का अवलोकन उपरांत यह सही है कि प्रार्थी के द्वारा अपना नाम नाथूराम पुत्र रामदेव के बजाय नन्छूराम उर्फ नानूराम पुत्र रामदेव होने का कोई भी साक्ष्य दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है। उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना न्यायसंगत पाता हूँ।

<u>आदेश</u>

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम खारिज किया जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांक 10.09.2020 सुनाया गया।

(राजवीर सिंह यादव, R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर